

विज्ञापन सं. 13/2019

संघ लोक सेवा आयोग

(वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से) निम्नलिखित पदों के लिए चयनद्वारा भर्ती हेतु ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.\*) आमंत्रित करता है ।

रिक्ति विवरण

1. (रिक्ति सं. 19101301212) तेरह वनस्पति विज्ञानी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (अ.जा.-02, अ.पि.व.-03, ई डब्ल्यू एस-01, अनारक्षित-7) । पद स्थायी हैं । **वेतनमान** : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु** : 30 वर्ष । **अनिवार्य योग्यताएं** : **(क) : शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान/ बागवानी/ जीव विज्ञान/ कृषि में मास्टर डिग्री। नोट : जीव विज्ञान विषय का अर्थ है आणविक जीव विज्ञान / पादप जैव प्रौद्योगिकी / पादप विज्ञान / पादप वर्गीकरण । **ख : अनुभव**: (i) निम्नलिखित शाखाओं में से किसी में अनुसंधान में 3 वर्ष का अनुभव: आवृत्तबीजी/ अनावृत्तबीजी / शैवाल / कवक / लाइकेन/ ब्रायोफाइट्स / टेरीडोफाइट्स / बागवानी / वृक्ष-संवर्धन/ वानिकी / पारिस्थितिकी और पर्यावरण/ आर्थिक वनस्पति विज्ञान / संग्रहालय विज्ञान (प्रकाशन द्वारा साक्ष्य के रूप में) (ii) क्षेत्र में पौधों के संग्रह और हर्बेरियम पद्धति और तरल और कार्पोलॉजिकल संग्रह/ टिशू कल्चर, एक्स-सीटू और इन-सीटू संरक्षण का अनुभव। **टिप्पणी-I** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने पर योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं । **टिप्पणी-II** : अनुसूचित जातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो इन कारणों को

लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव से संबंधित योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। **वा.यो. (कोई एक):** (i) निम्नलिखित में से किसी एक भाषा का ज्ञान : - लेटिन/ जर्मन/ फ्रेंच/ रूसी/ चीनी/ जापानी/ स्पेनिश (ii) वानस्पतिक नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कोड का ज्ञान (iii) पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन का ज्ञान (iv) पत्रकारिता / जनसंचार का ज्ञान (v) हर्बेरियम नमूनों के बारकोडिंग, स्कैनिंग और डिजिटलीकरण का ज्ञान (vi) फूलों वाले पौधों की पारिस्थितिकी का ज्ञान (vii) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान। **कार्य :** पौधों की पहचान करना। खेतों या हर्बेरियम नमूनों पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना। कार्यक्षेत्र भ्रमण करना। वैज्ञानिक सहायक/ तकनीकी सहायकों के काम की निगरानी करना। **मुख्यालय:** अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता।

2. (रिक्ति सं. 19101302212) छ: विधि अधिकारी (ग्रेड-II), विधिक एवं संधि प्रभाग, विदेश मंत्रालय (अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01, अ.पि.व.-01, ई डब्ल्यू एस-01, अनारक्षित-2)। छ: पदों में से एक पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, जैसे चलने में असमर्थ/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात / कुष्ठरोग उपचारित/ बौनापन / तेजाबी हमले के शिकार / विकलांगता में मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी की श्रेणी (ग) अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.ए.) या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित (ओ.एल.ए.) या बौनापन या तेजाबी हमले के शिकार व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। ये पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अर्थात् दृष्टिबाधित श्रेणी (क)/ श्रवण बाधित श्रेणी (ख)/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात/ कुष्ठ रोग उपचारित/ बौनापन/ तेजाबी हमले के शिकार/ विकलांगता में मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी की श्रेणी (ग) सहित चलने में असमर्थ/ बधिरता सहित खंड (क) से (घ) श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले एकाधिक विकलांगकता वाले उम्मीदवारों - विकलांगकता सहित अंधापन की श्रेणी (ड.) अर्थात् अल्प दृष्टि (एल वी) या ऊँचा सुनना (एचएच) या एक पैर प्रभावित एकाधिक विकलांगता उपरोक्त श्रेणी। पद स्थायी है। **वेतनमान :** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार

वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय । आयु : 40 वर्ष ।

**अनिवार्य योग्यताएं : (क) : शैक्षिक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा / या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विशेषज्ञता सहित विधि में मास्टर डिग्री । **नोट :** अंतर्राष्ट्रीय विधि में अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख क्षेत्र जैसे समुद्री विधि, मानवाधिकार विधि, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि शामिल है । (ii) एम. फिल. या पीएच.डी. स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधि में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे भले ही मास्टर डिग्री स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेष विषय के रूप में न रहा हो । **ख : अनुभव :** न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद विधिक मामलों यथा विधि व्यवसायी, सरकारी विधि सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कानून में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद अध्यापन या शोध के आयोजन या मार्गदर्शन में 5 वर्ष का अनुभव **टिप्पणी -I :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने पर योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं । **टिप्पणी -II :** अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में उनके लिए आरक्षित पदों के लिए अनुभव से संबंधित योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं, यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं होंगे । **वा. यो. :** अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य एक या दो विदेशी भाषा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (कम से कम 6 माह की अवधि) । **कार्य :** भारत की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समुद्री विधि, नदियों आदि से संबंधित विधिक पहलूओं पर विधिक तथा संधि प्रभाग की सहायता करना । **मुख्यालय :** अखिल भारतीय दायित्व या विदेशों सहित नई दिल्ली ।

3. (रिक्ति सं. 19101303612) तेरह संयुक्त सहायक निदेशक, पुलिस बेतार समन्वय निदेशालय, गृह मंत्रालय (अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01, अ.पि.व.-03, ई डब्ल्यू एस-01, अनारक्षित-7) । तेरह पदों में से एक पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, जैसे बधिर अथवा ऊंचा सुनना श्रेणी (ख) विकलांगता, अर्थात् ऊंचा सुनना (एच.एच.) के लिए आरक्षित है । पद स्थायी है । **वेतनमान :** 7वें

केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8, सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय । आयु : 30 वर्ष । अनिवार्य योग्यताएं : (क) : शैक्षिक : इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंम्युनिकेशन या इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इन्फार्मेशन एंड कंम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या एक विशेष विषय के रूप में टेलीकॉम्युनिकेशन सहित इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी. टेक. या बी.ई या बी.एस.सी. डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भौतिकी या कंम्युनिकेशन या बेतार या रेडियो विषय में विशेषज्ञता सहित मास्टर डिग्री। टिप्पणी-I : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने पर योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं । टिप्पणी-II : अनुसूचित जातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो अनुभव से संबंधित योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं । वा.यो. : केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी सांविधिक या स्वायत्त संगठन में रेडियो संचार या कंप्यूटर संचार या उपग्रह संचार या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स या साइबर सिक्योरिटी में 3 वर्ष का अनुभव। कार्य : अंतर्राज्यीय पुलिस बेतार केन्द्रों में कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, स्थापना टीम आदि में तकनीकी/ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करना । मुख्यालय : नई दिल्ली किंतु भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

4. (रिक्ति सं. 19101304112) बीस विशेषज्ञ ग्रेड-III (संवेदनाहरण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अ.ज.जा.-05, ई डब्ल्यू एस-01, अनारक्षित-14) । पद, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात / कुष्ठ रोग उपचारित / बौनापन / तेजाबी हमले के शिकार/ विकलांगता में मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी की श्रेणी अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.ए.) के लिए उपयुक्त हैं । पद स्थायी हैं । वेतनमान : 15,600-39,100/- (वेतन बैंड-3) + 6600/- रु. (ग्रेड वेतन) + निम्नानुसार प्रै.नि.भ. (संशोधन-पूर्व), ग्रुप

"क", राजपत्रित, अननुसचिवीय, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा । आयु : 45 वर्ष । **अ. यो. : (क) शैक्षिक**

: (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसिएट योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा । (ii) अनुसूची VI में खंड क या खंड ख में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष अर्थात् एम.डी. (एनेस्थेसियोलॉजी)/ एम.एस. (एनेस्थेसियोलॉजी)/ (एनेस्थेसियोलॉजी) में डिप्लोमा। **ख : अनुभव**

: प्रथम पोस्टग्रेजुएट डिग्री योग्यता प्राप्त करने के बाद सर्वाधिक विशेषज्ञता में तीन साल का अनुभव या पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा योग्यता प्राप्त करने के बाद पांच साल का अनुभव। **टिप्पणी - I** : डिप्लोमा के संदर्भ में एम.आर.सी.पी. / एफ.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस. का अभिप्राय यू के समस्त रॉयल कालेज द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा या सदस्यता एवं फैलोशिप तथा यू के रॉयल कालेज की फैलोशिप और कनाडा के रॉयल कालेज की फैलोशिप या ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज की सदस्यता या रॉयल कालेज द्वारा प्रदत्त फैलोशिप या रॉयल कालेज यू. के. या रॉयल कालेज कनाडा की फैलोशिप । **टिप्पणी -II** : यू.एस.ए. के विशेषज्ञता बोर्ड के योग्यता धारकों को संबंधित बोर्ड की सभी अपेक्षाओं को पूरा करना होगा । **टिप्पणी -III** : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई पोस्टग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में शामिल किया गया हो या बाहर कर दिया गया हो जिसे उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो या वापस ले ली गई हो, तदनुसार अनुसूची-VI में शामिल किया हुआ या हटाया गया माना जाएगा । **टिप्पणी-IV** : जहां तक भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर मेडिकल योग्यताओं का संबंध है, उनका उल्लेख समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूचियों में भी होना चाहिए । **टिप्पणी -V** : स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) भारत सरकार की दिनांक 29/08/1978 की अधिसूचना सं. V. 11015/12/78-एम.ई. (नीति) के अनुसार यू.के. में प्रदान की गई योग्यताओं को मेडिकल योग्यताओं के रूप में तभी मान्यताप्राप्त माना जाएगा जब वे 11 नवम्बर, 1978 को या उससे पहले प्रदान की गई हो । **टिप्पणी -VI** : पोस्टग्रेजुएट योग्यताओं के समकक्ष योग्यताधारकों के मामले में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित योग्यताओं को संबंधित विशेषज्ञता में अपेक्षित पोस्टग्रेजुएट योग्यताओं के रूप में विचार किया जाएगा । **टिप्पणी -VII** : उच्च विशेषज्ञताओं (एम.सीएच./डी.एम.) के मामले में, योग्यता धारकों को एम.डी. (सामान्य चिकित्सा) अथवा एम.एस. (सामान्य शल्य चिकित्सा) या उक्त परिषद द्वारा पोस्टग्रेजुएट आयुर्विज्ञान परीक्षा के संबंध में की गई सिफारिशों में यथानिर्धारित कोई समकक्ष योग्यताधारक होना चाहिए । **टिप्पणी -VIII** : भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख होगी । **टिप्पणी - IX** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में

अभिलेखबद्ध करते हुए, आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकेगी। **टिप्पणी - X** : अ.जा. तथा अ.ज.जा. से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर आयोग का यह मत है कि इन समुदायों से उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए आयोग के विवेकानुसार शैक्षिक योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य** : उम्मीदवारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों तथा अस्पतालों में कार्य करना होगा और मुख्यतः पर इन अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में विभिन्न प्रकार के मरीजों की चिकित्सा देखभाल करनी होगी। तथापि, लोक सेवा की आकस्मिकता के अनुसार प्रशासनिक तथा अन्य संबंधित कार्यों सहित उन्हें अन्य कार्य भी करने होंगे। **मुख्यालय** : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। **अन्य शर्तें** : सेवा में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को परामर्शी तथा प्रयोगशाला सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।

5. (रिक्ति सं. 19101305112) दो विशेषज्ञ ग्रेड-III (जैव-रसायन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अनारक्षित-02)। पद, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात / कुष्ठ रोग उपचारित / बौनापन / तेजाबी हमले के शिकार/ विकलांगता में मस्कूलर डिस्ट्रॉफी अर्थात एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.ए.) के लिए उपयुक्त हैं। पद स्थायी हैं। **वेतनमान** : 15,600-39,100/- + 6600/- रु. (ग्रेड वेतन) + नियमानुसार प्रै.नि.भ. (संशोधन-पूर्व), ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा। **आयु** : 45 वर्ष। **अ. यो. :** (क) **शैक्षिक** (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसिएट योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) अनुसूची-VI के खंड क में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता में पोस्टग्रेजुएट डिग्री या समतुल्य अर्थात एम.डी. (जैव-रसायन) / एम.एस. सी (चिकित्सा जैव-रसायन) / पीएच.डी. (जैव-रसायन) / डी. एससी.

(जैव-रसायन) । **ख : अनुभव** : पहली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्षों का अनुभव। **टिप्पणी - 1:** एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस. रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा या सदस्यता और फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. के फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ कनाडा के फेलोशिप से संबंधित है। **टिप्पणी - II:** यूएसए विशेषज्ञता बोर्ड की अर्हताओं के धारकों को संबंधित बोर्ड की संपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। **टिप्पणी III:** भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमत अथवा निर्लिप्त के परिणामस्वरूप कथित अधिनियम की अनुसूची में शामिल अथवा हटाए गए किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रदत्त कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा डिप्लोमा, **टिप्पणी IV:** जहां तक भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अर्हता का प्रश्न है, उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, की अनुसूची में भी स्थान मिलना चाहिए। **टिप्पणी V:** भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य विभाग) मंत्रालय अधिसूचना सं वी.110015/12/78-एमई (नीति), दिनांक 29.08.1978 के संबंध में, यूनाइटेड किंगडम में प्रदत्त अर्हताओं को मेडिकल अर्हता की मान्यता तभी दी जाएगी, यदि उसे 11 नवंबर 1978 को या उससे पहले प्रदान किया गया हो। **टिप्पणी VI:** समय-समय पर भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित समकक्ष पोस्ट ग्रेजुएट अर्हताओं के धारकों को संबंधित विषय में अपेक्षित पोस्ट ग्रेजुएट अर्हता प्राप्त माना जाएगा। **टिप्पणी VII:** सुपर स्पेशलिटीज (M.Ch./DM) में अर्हताओं के मामले में, धारकों के मामलों के अलावा, एम.डी. (जनरल मेडिसिन) या एम.एस. (जनरल सर्जरी) या समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी जैसा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा पर उक्त परिषद् की सिफारिशों में यथा निर्धारित समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी। **टिप्पणी VIII:** आयु सीमा निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पणी- IX :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने पर आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी X :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों

के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो लिखित में रिकॉर्ड रखने हेतु अनुभव से संबंधित योग्यताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **कर्तव्य:** उम्मीदवारों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के डिस्पेंसरी और अस्पतालों में काम करना होगा और मुख्य रूप से इन अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में विभिन्न प्रकार के मरीजों की चिकित्सा देखभाल करनी होगी। हालांकि उन्हें लोक सेवा की अनिवार्यताओं के अनुसार प्रशासनिक और अन्य संबंधित कार्य सहित अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। **मुख्यालय:** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार। **कोई अन्य शर्त:** सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को किसी भी परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. (रिक्ति सं. 19101306112) एक विशेषज्ञ ग्रेड-III (हृदयरोग विज्ञान), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अनारक्षित-01)। पद, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात / कुष्ठ रोग उपचारित / बौनापन / तेजाबी हमले के शिकार/ विकलांगता में मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.ए.) के लिए उपयुक्त हैं। पद स्थायी हैं। **वेतनमान :** 15,600-39,100/- + 6600/- रु. (ग्रेड वेतन) + नियमानुसार प्रै.नि.भ. (संशोधन-पूर्व), ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा। **आयु :** 45 वर्ष। **अ. यो. :** (क) शैक्षिक (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसिएट योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा।



(ii) अनुसूची-VI के खंड क में वर्णित संबंधित या उच्च विशेषज्ञता में पोस्टग्रेजुएट डिग्री या समतुल्य अर्थात् डी.एम. (हृदयरोग विज्ञान) । **ख : अनुभव** : पहली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्षों का अनुभव। **टिप्पणी - 1:** एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस. रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा या सदस्यता और फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. के फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ कनाडा के फेलोशिप से संबंधित है। **टिप्पणी - II:** यूएसए विशेषज्ञता बोर्ड की अर्हताओं के धारकों को संबंधित बोर्ड की संपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। **टिप्पणी III:** भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमत अथवा निर्लिप्त के परिणामस्वरूप कथित अधिनियम की अनुसूची में शामिल अथवा हटाए गए किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रदत्त कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा डिप्लोमा, **टिप्पणी IV:** जहां तक भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अर्हता का प्रश्न है, उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, की अनुसूची में भी स्थान मिलना चाहिए। **टिप्पणी V:** भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य विभाग) मंत्रालय अधिसूचना सं वी.110015/12/78-एमई (नीति), दिनांक 29.08.1978 के संबंध में, यूनाइटेड किंगडम में प्रदत्त अर्हताओं को मेडिकल अर्हता की मान्यता तभी दी जाएगी, यदि उसे 11 नवंबर 1978 को या उससे पहले प्रदान किया गया हो। **टिप्पणी VI:** समय-समय पर भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित समकक्ष पोस्ट ग्रेजुएट अर्हताओं के धारकों को संबंधित विषय में अपेक्षित पोस्ट ग्रेजुएट अर्हता प्राप्त माना जाएगा। **टिप्पणी VII:** सुपर स्पेशलिटीज (M.Ch./DM) में अर्हताओं के मामले में, धारकों के मामलों के अलावा, एम.डी. (जनरल मेडिसिन) या एम.एस. (जनरल सर्जरी) या समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी जैसा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा पर उक्त परिषद की सिफारिशों में यथा निर्धारित समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी। **टिप्पणी VIII:** आयु सीमा निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पणी- IX :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने पर आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी X :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो लिखित में रिकॉर्ड रखने हेतु अनुभव से संबंधित योग्यताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **कर्तव्य:** उम्मीदवारों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के डिस्पेंसरी और अस्पतालों में काम करना होगा और मुख्य रूप से इन अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में विभिन्न प्रकार के मरीजों की चिकित्सा देखभाल करनी होगी। हालांकि उन्हें लोक सेवा की अनिवार्यताओं के अनुसार प्रशासनिक और अन्य संबंधित कार्य सहित अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। **मुख्यालय:** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार। **कोई अन्य शर्त:** सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को किसी भी परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. (रिक्ति सं. 19101307112) तीन विशेषज्ञ ग्रेड-III (न्याय चिकित्सा विज्ञान), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अ.ज.जा.-01, अनारक्षित-02)। पद, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात / कुष्ठ रोग उपचारित / बौनापन / तेजाबी हमले के शिकार/ विकलांगता में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अर्थात एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.ए.) के लिए उपयुक्त हैं। पद स्थायी हैं। **वेतनमान :** 15,600-39,100/- + 6600/- रु. (ग्रेड वेतन) + नियमानुसार प्रै.नि.भ. (संशोधन-पूर्व), ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा। **आयु :** 45 वर्ष। **अ. यो. : (क) शैक्षिक** (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंशिएट योग्यताओं को छोड़कर) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) अनुसूची-VI के खंड क में

वर्णित संबंधित विशेषज्ञता या उच्च विशेषज्ञता में पोस्टग्रेजुएट डिग्री अर्थात एम.डी. (न्याय चिकित्सा विज्ञान) । **ख : अनुभव** : पहली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्षों का अनुभव। **टिप्पणी - 1:** एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस. रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा या सदस्यता और फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. के फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ कनाडा के फेलोशिप से संबंधित है। **टिप्पणी - II:** यूएसए विशेषज्ञता बोर्ड की अर्हताओं के धारकों को संबंधित बोर्ड की संपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। **टिप्पणी III:** भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमत अथवा निर्लिप्त के परिणामस्वरूप कथित अधिनियम की अनुसूची में शामिल अथवा हटाए गए किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रदत्त कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा डिप्लोमा, **टिप्पणी IV:** जहां तक भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अर्हता का प्रश्न है, उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, की अनुसूची में भी स्थान मिलना चाहिए। **टिप्पणी V:** भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य विभाग) मंत्रालय अधिसूचना सं वी.110015/12/78-एमई (नीति), दिनांक 29.08.1978 के संबंध में, यूनाइटेड किंगडम में प्रदत्त अर्हताओं को मेडिकल अर्हता की मान्यता तभी दी जाएगी, यदि उसे 11 नवंबर 1978 को या उससे पहले प्रदान किया गया हो। **टिप्पणी VI:** समय-समय पर भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित समकक्ष पोस्ट ग्रेजुएट अर्हताओं के धारकों को संबंधित विषय में अपेक्षित पोस्ट ग्रेजुएट अर्हता प्राप्त माना जाएगा। **टिप्पणी VII:** सुपर स्पेशलिटीज (M.Ch./DM) में अर्हताओं के मामले में, धारकों के मामलों के अलावा, एम.डी. (जनरल मेडिसिन) या एम.एस. (जनरल सर्जरी) या समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी जैसा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा पर उक्त परिषद् की सिफारिशों में यथा निर्धारित समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी। **टिप्पणी VIII:** आयु सीमा निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पणी- IX :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने पर आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी X :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि

चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो लिखित में रिकॉर्ड रखने हेतु अनुभव से संबंधित योग्यताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **कर्तव्य:** उम्मीदवारों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के डिस्पेंसरी और अस्पतालों में काम करना होगा और मुख्य रूप से इन अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में विभिन्न प्रकार के मरीजों की चिकित्सा देखभाल करनी होगी। हालांकि उन्हें लोक सेवा की अनिवार्यताओं के अनुसार प्रशासनिक और अन्य संबंधित कार्य सहित अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। **मुख्यालय:** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार। **कोई अन्य शर्त:** सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को किसी भी परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. (रिक्ति सं. 19101308112) पन्द्रह विशेषज्ञ ग्रेड-III (सामान्य चिकित्सा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अ.जा.-02, अ.ज.जा.-02, ई डब्ल्यू एस-01, अनारक्षित-10) । पद, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात / कुष्ठ रोग उपचारित / बौनापन / तेजाबी हमले के शिकार/ विकलांगता में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अर्थात एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.ए.) के लिए उपयुक्त हैं । पद स्थायी हैं । **वेतनमान :** 15,600-39,100/- + 6600/- रु. (ग्रेड वेतन) + नियमानुसार प्रै.नि.भ. (संशोधन-पूर्व), गुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा । **आयु :** 45 वर्ष । **अ. यो. : (क) शैक्षिक** (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंशिएट योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा । (ii) अनुसूची-VI के खंड क में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता में

पोस्टग्रेजुएट डिग्री अर्थात एम.डी. (चिकित्सा) / एम.डी. (सामान्य चिकित्सा) । **ख : अनुभव** : पहली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्षों का अनुभव। **टिप्पणी - 1:** एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस. रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा या सदस्यता और फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. के फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ कनाडा के फेलोशिप से संबंधित है। **टिप्पणी - II:** यूएसए विशेषज्ञता बोर्ड की अर्हताओं के धारकों को संबंधित बोर्ड की संपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। **टिप्पणी III:** भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमत अथवा निर्लिप्त के परिणामस्वरूप कथित अधिनियम की अनुसूची में शामिल अथवा हटाए गए किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रदत्त कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा डिप्लोमा, **टिप्पणी IV:** जहां तक भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अर्हता का प्रश्न है, उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, की अनुसूची में भी स्थान मिलना चाहिए। **टिप्पणी V:** भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य विभाग) मंत्रालय अधिसूचना सं वी.110015/12/78-एमई (नीति), दिनांक 29.08.1978 के संबंध में, यूनाइटेड किंगडम में प्रदत्त अर्हताओं को मेडिकल अर्हता की मान्यता तभी दी जाएगी, यदि उसे 11 नवंबर 1978 को या उससे पहले प्रदान किया गया हो। **टिप्पणी VI:** समय-समय पर भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित समकक्ष पोस्ट ग्रेजुएट अर्हताओं के धारकों को संबंधित विषय में अपेक्षित पोस्ट ग्रेजुएट अर्हता प्राप्त माना जाएगा। **टिप्पणी VII:** सुपर स्पेशलिटीज (M.Ch./DM) में अर्हताओं के मामले में, धारकों के मामलों के अलावा, एम.डी. (जनरल मेडिसिन) या एम.एस. (जनरल सर्जरी) या समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी जैसा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा पर उक्त परिषद की सिफारिशों में यथा निर्धारित समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी। **टिप्पणी VIII:** आयु सीमा निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पणी- IX :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने पर आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी X :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के

किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो लिखित में रिकॉर्ड रखने हेतु अनुभव से संबंधित योग्यताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **कर्तव्य:** उम्मीदवारों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के डिस्पेंसरी और अस्पतालों में काम करना होगा और मुख्य रूप से इन अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में विभिन्न प्रकार के मरीजों की चिकित्सा देखभाल करनी होगी। हालांकि उन्हें लोक सेवा की अनिवार्यताओं के अनुसार प्रशासनिक और अन्य संबंधित कार्य सहित अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। **मुख्यालय:** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार। **कोई अन्य शर्त:** सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को किसी भी परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. (रिक्ति सं. 19101309112) नौ विशेषज्ञ ग्रेड-III (सामान्य शल्य चिकित्सा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अ.जा.-01, अ.ज.जा.-02, अनारक्षित-06) । पद, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात / कुष्ठ रोग उपचारित / बौनापन / तेजाबी हमले के शिकार/ विकलांगता में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अर्थात एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.ए.) के लिए उपयुक्त हैं । पद स्थायी हैं । **वेतनमान :** 15,600-39,100/- + 6600/- रु. (ग्रेड वेतन) + नियमानुसार प्रै.नि.भ. (संशोधन-पूर्व), ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा । **आयु :** 45 वर्ष । **अ. यो. : (क) शैक्षिक** (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसिएट योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा । (ii) अनुसूची-VI के खंड क में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता में पोस्टग्रेजुएट डिग्री अर्थात

एम.एस (शल्य चिकित्सा) / एम.एस. (सामान्य शल्य चिकित्सा) । **ख : अनुभव** : पहली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्षों का अनुभव। **टिप्पणी - 1:** एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस. रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा या सदस्यता और फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. के फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ कनाडा के फेलोशिप से संबंधित है। **टिप्पणी - II:** यूएसए विशेषज्ञता बोर्ड की अर्हताओं के धारकों को संबंधित बोर्ड की संपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। **टिप्पणी III:** भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमत अथवा निर्लिप्त के परिणामस्वरूप कथित अधिनियम की अनुसूची में शामिल अथवा हटाए गए किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रदत्त कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा डिप्लोमा, **टिप्पणी IV:** जहां तक भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अर्हता का प्रश्न है, उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, की अनुसूची में भी स्थान मिलना चाहिए। **टिप्पणी V:** भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य विभाग) मंत्रालय अधिसूचना सं वी.110015/12/78-एमई (नीति), दिनांक 29.08.1978 के संबंध में, यूनाइटेड किंगडम में प्रदत्त अर्हताओं को मेडिकल अर्हता की मान्यता तभी दी जाएगी, यदि उसे 11 नवंबर 1978 को या उससे पहले प्रदान किया गया हो। **टिप्पणी VI:** समय-समय पर भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित समकक्ष पोस्ट ग्रेजुएट अर्हताओं के धारकों को संबंधित विषय में अपेक्षित पोस्ट ग्रेजुएट अर्हता प्राप्त माना जाएगा। **टिप्पणी VII:** सुपर स्पेशलिटीज (M.Ch./DM) में अर्हताओं के मामले में, धारकों के मामलों के अलावा, एम.डी. (जनरल मेडिसिन) या एम.एस. (जनरल सर्जरी) या समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी जैसा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा पर उक्त परिषद की सिफारिशों में यथा निर्धारित समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी। **टिप्पणी VIII:** आयु सीमा निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पणी- IX :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने पर आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी X :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के

किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो लिखित में रिकॉर्ड रखने हेतु अनुभव से संबंधित योग्यताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **कर्तव्य:** उम्मीदवारों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के डिस्पेंसरी और अस्पतालों में काम करना होगा और मुख्य रूप से इन अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में विभिन्न प्रकार के मरीजों की चिकित्सा देखभाल करनी होगी। हालांकि उन्हें लोक सेवा की अनिवार्यताओं के अनुसार प्रशासनिक और अन्य संबंधित कार्य सहित अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। **मुख्यालय:** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार। **कोई अन्य शर्त:** सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को किसी भी परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. (रिक्ति सं. 19101310112) पांच विशेषज्ञ ग्रेड-III (तंत्रिका शल्य चिकित्सा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अ.जा.-01, अनारक्षित-04) । पद, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात / कुष्ठ रोग उपचारित / बौनापन / तेजाबी हमले के शिकार/ विकलांगता में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अर्थात एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.ए.) के लिए उपयुक्त हैं । पद स्थायी हैं । वेतनमान : 15,600-39,100/- + 6600/- रु. (ग्रेड वेतन) + नियमानुसार प्रै.नि.भ. (संशोधन-पूर्व), ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा । आयु : 45 वर्ष । **अ. यो. : (क) शैक्षिक** (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसिएट योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा । (ii) अनुसूची-VI के खंड क में वर्णित संबंधित उच्च विशेषज्ञता में पोस्टग्रेजुएट डिग्री



अर्थात एम.सीएच. (तंत्रिका शल्य चिकित्सा) । **ख : अनुभव** : पहली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्षों का अनुभव। **टिप्पणी - 1:** एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस. रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा या सदस्यता और फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. के फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ कनाडा के फेलोशिप से संबंधित है। **टिप्पणी - II:** यूएसए विशेषज्ञता बोर्ड की अर्हताओं के धारकों को संबंधित बोर्ड की संपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। **टिप्पणी III:** भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमत अथवा निर्लिप्त के परिणामस्वरूप कथित अधिनियम की अनुसूची में शामिल अथवा हटाए गए किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रदत्त कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा डिप्लोमा, **टिप्पणी IV:** जहां तक भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अर्हता का प्रश्न है, उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, की अनुसूची में भी स्थान मिलना चाहिए। **टिप्पणी V:** भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य विभाग) मंत्रालय अधिसूचना सं वी.110015/12/78-एमई (नीति), दिनांक 29.08.1978 के संबंध में, यूनाइटेड किंगडम में प्रदत्त अर्हताओं को मेडिकल अर्हता की मान्यता तभी दी जाएगी, यदि उसे 11 नवंबर 1978 को या उससे पहले प्रदान किया गया हो। **टिप्पणी VI:** समय-समय पर भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित समकक्ष पोस्ट ग्रेजुएट अर्हताओं के धारकों को संबंधित विषय में अपेक्षित पोस्ट ग्रेजुएट अर्हता प्राप्त माना जाएगा। **टिप्पणी VII:** सुपर स्पेशलिटीज (M.Ch./DM) में अर्हताओं के मामले में, धारकों के मामलों के अलावा, एम.डी. (जनरल मेडिसिन) या एम.एस. (जनरल सर्जरी) या समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी जैसा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा पर उक्त परिषद की सिफारिशों में यथा निर्धारित समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी। **टिप्पणी VIII:** आयु सीमा निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पणी- IX :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने पर आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी X :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा

आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो लिखित में रिकॉर्ड रखने हेतु अनुभव से संबंधित योग्यताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **कर्तव्य:** उम्मीदवारों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के डिस्पेंसरी और अस्पतालों में काम करना होगा और मुख्य रूप से इन अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में विभिन्न प्रकार के मरीजों की चिकित्सा देखभाल करनी होगी। हालांकि उन्हें लोक सेवा की अनिवार्यताओं के अनुसार प्रशासनिक और अन्य संबंधित कार्य सहित अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। **मुख्यालय:** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार। **कोई अन्य शर्त:** सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को किसी भी परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. (रिक्ति सं. 19101311112) एक विशेषज्ञ ग्रेड-III (बालरोग शल्य चिकित्सा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अनारक्षित-01)। पद, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे चलने में असमर्थ / प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात / कुष्ठ रोग उपचारित / बौनापन / तेजाबी हमले के शिकार/ विकलांगता में मस्कलर डिस्ट्रॉफी अर्थात एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.एल.) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओ.ए.) के लिए उपयुक्त हैं। पद स्थायी हैं। **वेतनमान :** 15,600-39,100/- + 6600/- रु. (ग्रेड वेतन) + नियमानुसार प्रै.नि.भ. (संशोधन-पूर्व), ग्रुप "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा। **आयु :** 45 वर्ष। **अ. यो. :** (क) शैक्षिक (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसिएट योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा। (ii) अनुसूची-VI के खंड क में वर्णित संबंधित उच्च विशेषज्ञता में पोस्टग्रेजुएट डिग्री अर्थात एम.सीएच. (बालरोग शल्य चिकित्सा)। **ख : अनुभव :** पहली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित

विशेषज्ञता में तीन वर्षों का अनुभव। **टिप्पणी - 1:** एम.आर.सी.पी./एफ.आर.सी.पी., एफ.आर.सी.एस. रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा या सदस्यता और फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ यू.के. के फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ कनाडा के फेलोशिप से संबंधित है। **टिप्पणी - II:** यूएसए विशेषज्ञता बोर्ड की अर्हताओं के धारकों को संबंधित बोर्ड की संपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। **टिप्पणी III:** भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमत अथवा निर्लिप्त के परिणामस्वरूप कथित अधिनियम की अनुसूची में शामिल अथवा हटाए गए किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रदत्त कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा डिप्लोमा, **टिप्पणी IV:** जहां तक भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अर्हता का प्रश्न है, उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, की अनुसूची में भी स्थान मिलना चाहिए। **टिप्पणी V:** भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य विभाग) मंत्रालय अधिसूचना सं वी.110015/12/78-एमई (नीति), दिनांक 29.08.1978 के संबंध में, यूनाइटेड किंगडम में प्रदत्त अर्हताओं को मेडिकल अर्हता की मान्यता तभी दी जाएगी, यदि उसे 11 नवंबर 1978 को या उससे पहले प्रदान किया गया हो। **टिप्पणी VI:** समय-समय पर भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित समकक्ष पोस्ट ग्रेजुएट अर्हताओं के धारकों को संबंधित विषय में अपेक्षित पोस्ट ग्रेजुएट अर्हता प्राप्त माना जाएगा। **टिप्पणी VII:** सुपर स्पेशलिटीज (M.Ch./DM) में अर्हताओं के मामले में, धारकों के मामलों के अलावा, एम.डी. (जनरल मेडिसिन) या एम.एस. (जनरल सर्जरी) या समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी जैसा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा पर उक्त परिषद् की सिफारिशों में यथा निर्धारित समकक्ष योग्यता प्राप्त करनी होगी। **टिप्पणी VIII:** आयु सीमा निर्धारण की महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पणी- IX :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने पर आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी X :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत होता है कि इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन

समुदायों से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो लिखित में रिकॉर्ड रखने हेतु अनुभव से संबंधित योग्यताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। **कर्तव्य:** उम्मीदवारों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के डिस्पेंसरी और अस्पतालों में काम करना होगा और मुख्य रूप से इन अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में विभिन्न प्रकार के मरीजों की चिकित्सा देखभाल करनी होगी। हालांकि उन्हें लोक सेवा की अनिवार्यताओं के अनुसार प्रशासनिक और अन्य संबंधित कार्य सहित अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। **मुख्यालय:** दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार। **कोई अन्य शर्त:** सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को किसी भी परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

<b>महत्वपूर्ण</b>
<b>ओ.आर.ए. वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तारीख 31.10.2019 को 23.59 बजे तक है ।</b>
<b>पूर्ण रूप से भर कर ऑन लाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तारीख 01.11.2019 को 23.59 बजे तक है ।</b>
सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की निर्धारित अंतिम तारीख होगी । आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कम्प्यूटर आधारित लघु सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।
साक्षात्कार की तारीख, जिस दिन लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी ।

**टिप्पणी :**

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में आवेदन ऑन लाइन केवल भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से ही करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को न लिखें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

ख) सभी मदों के सामने दर्शाई गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है तथा अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में 5 वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी रियायत के लिए आवेदक कृपया आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित “चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना” के संगत पैरा देखें।

(ग) कोई उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने का पात्र केवल तभी होगा यदि उम्मीदवार की जाति, जिस से वह संबंधित है, को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो। यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख करता/करती है कि वह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में आयोग को अपनी श्रेणी को बदलने के लिए अनुरोध करता / करती है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार (पी.एच.) अथवा अशक्त उम्मीदवार, जैसाकि रिक्तियों के विवरण में विभिन्न मद (मदों) के सामने दर्शाया गया है, उन संगत पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं, किन्तु उपयुक्त समझे गए हैं। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा। कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्तियों को ही जैसाकि नियमों के अंतर्गत अनुमेय है, आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने का पात्र माना जाएगा। अतः शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार (पी.एच.) निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं :

(i) नियमों के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगे, जब शारीरिक अशक्तता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो और पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों ।

(ii) नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगी जब शारीरिक अशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो और पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों ।

(इ) **मुख्यालय** : कुछेक पदों के सामने विशेष रूप से उल्लिखित निर्दिष्ट स्थानों पर, अन्यथा भारत में कहीं भी तैनाती के अध्यक्षधीन ।

(च) **परिवीक्षा** : चयनित व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जाएगा ।

#### निरसन नोटिस

सभी संबद्ध पक्षों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 08/10/2016 को इम्प्लायमेंट न्यूज़ पेपर में आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं. 18/2016 की मद सं. 2 के तहत राजकीय महाविद्यालय, दमण, संघ शासित क्षेत्र, दमण तथा दीव प्रशासन में प्रिंसिपल, (रिक्ति सं0 16101802308) के एक (01) अनारक्षित पद पर भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है ।